यह धारा 30 का प्रावधान हो जाने के बाद वकील को इस बात का अधिकार मिलना चाहिए था कि जहां भी, जिस भी अधिकरण या न्यायालय में जहां साक्ष्य का रिकार्ड होता तो, वहां उपस्थित हो कर पैरवी कर सके । परन्तु इस प्रकार की अनेक जगहों पर वकीलों रोका गया । यह मामला सब से पहले 1985 में लिगप्प पोचाना के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया । माननी य सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय ए. आई. आर. 1985, सुप्रिम कोर्ट, पेज 389, 14.12.84 को निर्णय दिया जिसमें उन्होने कहा कि धारा 30 में जो वकील को अधिकार दिये गये है उसके बारे में एडवोकेट्स एक्ट की धारा 3 के तहत अभी तक अधिसूचित नहीं हुई है, इसलिए वकील को किसी अधिकरण में जहां प्रतिबंध लगा दिया गया हो वहां उपस्थित रहने का अधिकार नहीं है । मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं । उसके बाद में फिर यह मामला 1977 में पंजाब उच्च न्यायालय की फुल बेंच के अन्दर गया । वहां पर भी इसी प्रकार की अवधारणा, इसी प्रकार का विनिश्चय किया गया । यह मामला आगे और बढ़ता गया परन्तु इसके अन्दर अनेक प्रकार के ज्ञापन भारत सरकार को दिये गये, अनेक प्रकार की अदालती कार्यवाही एक के बाद एक इसके अन्दर की गई । इस प्रकार का तेलपाल सिंह के मामले में और के.टी. आडवाणी के मामले में भी निर्णय हुआ । बार कौसिल एक्ट की धारा 14 में पूरा प्रावधान है कि वकील उपस्थित हो सकता है । परन्तु धारा 30 में एडवोकेट्स एक्ट में प्रावधान किया गया इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई । यह अधिसूचना जारी ज होने के कारण सारे देश भर के वकील आन्दोलित हो रहे है । अदालतों पर वितरीत प्रभाव पड़ रहा है । मुकदमों की पैरवी पर वितरीत प्रभाव पड़ा है । संविधान में साफ लिखा है । संविधान के आर्टिकल 22 में हर आदमी को इस प्रकार का अधिकार है कि अपनी इच्छा के वकील का सहयोग ले कर पैरवी करा सकता है । इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कै एडवोकेट्स एक्ट की धारा 3 के तहत, धारा 30 में जो अधिकार दिया गया है, भारत सरकार अधिसूचना अधिसूचित कर दे और अधिसूचित करने के बाद में वकीलों को इस बात का अधिकर मिल जाएगा कि वह इस धारा 30 में वर्णित जो कोर्ट है, अधिकरण है 'any person who is authorised to take evidence or any authority'

उसके सामने उपस्थित हो सकेंगे । मै मानकर चलता हूं कि इसकी अधिसूचना शीघ्र जारी हो जाएगी तथा लाखो वकील जो देश भर में आन्दोलनरत है, उससे उनको राहत मिलेगी और वकीलों को ठीक प्रकार से न्याय देने में, न्यायालयों को ठीक प्रकार से विनिश्चिय करने में सहयोग मिलेगा । आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Madam, the Advocates Act was enacted in 1961. Section 30 gives the power to an advocate to practise in all forums. But nowadays, advocates are prevented from appearing before certain forums and there is a specific bar in certain Acts like the Family Courts Act and the Cooperative Tribunals Act. In several tribunals, advocates are barred to practise or to assist the court. The provisions of section 30 of the Advocates Act, 1961 has not been notified. Since it is not notified, these restrictions are coming in the way of advocates practising. The number of advocates is increasing like anything. But if they are prevented from practising before the Tribunals, they will be left with very few avenues to practise in this profession. One misconception is that if the advocates are permitted, they will drag the proceedings and they can complicate the issues. That is not correct. Instead, they can assist the court in coming to a correct conclusion. As a matter of fact, the advocates throughout India are observing a protest day to solve this problem. As Chairman of the Bar Council of Tamil Nadu, I am taking care of 32,000 lawyers in Tamil Nadu and Pondicherry. I request the Central Government to notify section 30 of the Advocates Act, 1961. Thank you.

Impact of Bhopal Gas Tragedy on Future Generations, Particularly on Women

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं 14 वर्ष पूर्व विश्व की एक भयानक घटना जो हिन्दुस्तान में 2 दिसम्बर, 1984 की रात को घटी उसकी ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं ।

भोपाल, मध्य प्रदेश में यूनियन कारबाईड फैक्ट्री जो पेस्टिसाइड्स बनाती थी उससे 40 टन मिथाइल आइसो, हाइड्रोजन साइनाइड व अन्य जहरीली गैसें बाहर निकली और उस भयानक रात में 8 हजार लोग फौरन मर गए 116 हजार अब 14 वर्षो के दौरान और और भी मृत्युएं हुई है । लोग आज भी बिना परिवार के बिना किसी सहायता के अपनी लाइफ का स्ट्रगल कर रहे है । पुनर्वास की व्यवस्था भी हम अभी तक नहीं कर पाए है । हजारों लोग आज भी इलाज के लिए तरस रहे है हजारों लोग बीमार है । 14 वर्ष बाद धीरे-धीरे अब तक उसके प्रभाव निकलकर आ रहे

है । इन गैसों का सीधा लग्स पर प्रभाव पड़ा । दिमाग पर, किडनी पर) मसल्स पर, प्रजनन क्रियाओं पर असर पड़ा तथा टी. बी. जैसे रोग ज्यादा बढने लगे है । आखों के कैटेरेक्ट ज्यादा बढने लगे है जिन पर जहरीली गैस का असर हुआ । महिलाओं के एबारशंस रेट ज्यादा बढ गए है । बल्कि नेशनल जो परसेंटेज है उससे तीन गुना बढ़ गए है । मृत्यु दर तीन गुना बढ़ गयी है । पेरीनेटल मारटेलिटी दुगनी बढ़ गयी है और नियोनेटल मारटेलिटी डेढ़ गुना बढ़ गयी है । उस समय की जो प्रगनेंट वीमेंन थी उनके बच्चों में ग्रास मोटर एंड लैग्वेज सेक्टर डेवलपमेंट में गड़बड़ हुई है । आज भी डब्ल्यू एच. ओ. की जो रिपोर्ट है वह कहती है कि इसका असर तीन पीढ़ियों तक रहने वाला है- जो महिलाए उस समय प्रेगनेंट थी । उनके बच्चों में कन्जेनीटल गड़बडी का असर तीन पीढियों तक रहेन की संभावना है । मैं सदन के द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि पूरे इम्यूम सिस्टम पर इस गैस का जो असर हुआ है वह हमारी आगे आमे वाली पीढ़ियों को नष्ट करेगा या स्वस्थ समाज को जन्म नहीं देगा । इसको सुधारा जाना चाहिए । गैर सरकारी जो संस्थाए है उनकी रिपोर्टस के अनुसार भी और आई. सी. एम. आर. की रिपोर्ट के अनुसार भी जो अभी 2 दिसम्बर को ही अखबारों में, टाएम्स आफ इंडिया में प्रसारित हुई, उसके अनुसार भी यह निकलकर आया है कि इन रोगों के इलाज के लिए हमारे मध्य प्रदेश के जो अस्पताल है वे कंपीटेंट नही है । खास तौर से इस गैस ट्रेजेडी का असर महिलाओं पर सबसे ज्यादा पड़ा है । उसके असर के चलते जो बायोलाजिकल असर हुआ है वह तो है ही लेकिन परिवार स्टगल कर रहे है । सड़को पर आ गए है, बेड विनर्स नहीं रहे है । री-प्रोदक्टिव फंक्शन की कैपेबिलिटी...(**व्यवधान**)....

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): मैडम, एक मिनट ।

तो वह कम हुई है, हसबैंड से दूरिया बढ़ी है । 6 लाख लोग अब भी न्याय पाने के लिए लड़ रहे है । मैं सदन का ध्यान इसकी और दिलाना चाहती हूं कि आज भी हम उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कर पाएं है । अब तक जो इलाज हुए है वे सिंप्टोमैटिक इलाज हुए है । खांसी हुई तो दवा दे दी, बुखार आया तो थोडी सी दबा दे दी या बुखार आने लगा तो लंग्ज ए लिए थोड़ा इलाज कर दिया । लेकिन एम. आई. सी. गैस कंपोनैंट के अनुसार जो रिसर्च हुई यह अभी बाकी है । उसके अनुसार अभी हम उनका इलाज नही करवा पाए है । वे सुविधाए हम हॉस्पीटल में नहीम दिला पाए है । भोपाल में उनके इलाज के लिए जो इंदिरा गांधी हॉस्पीटल है वह भी कंपीटैंट नही है, कमला नेहरू हॉस्पीटल है, जवाहर लाल नेहरू हॉस्पीटल है, लेकिन उनमें बहुत सी मशीने है जो अभी अन्यूज्ड पडी है ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): प्लीज कन्वलड वीणा जी ।

श्रीमती वीणा वर्मा : यस, मैडम । सुप्रीम कोर्ट के एक आर्डर 1979 में दिया था । उसके अनुसार यूनियन कारबाइड कार्पोरेशन के अमरीका के 470 मिलियन डॉलर जो अभी मुआवजा देने के लिए बचे पड़े है और कोई सैटलमेंट नहीं हो पाया है । मेरी मांग यह है कि उसका जल्दी ही एक ट्रस्ट बनवा कर उसको मुआवजा मिल पाया है और 16-17 हजार या 20 हजार के करीब इससे प्रभावित लोग है जो कि इलाज के लिए तरस रहे है और दर-दर की ठोकरे खार रहे है ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): वीणा जी, प्लीज, कन्क्लूड ।

श्रीमती वीणा वर्मा: अंत में सिर्फ एक मांग कहना चाहूंगी, महिलाओं की तरफ से जो सब से ज्यादा असर महिआओं पर हुआ है तो उनके इलाज के ले विशेष व्यवस्था होनी चाहिए और गैस कंपोनैट्स के अन्नुसार होना चाहिए, क्योंकि रीप्रोडक्टिव ऑगेन्स पर असर हुआ है ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): यह बात आपने पहले कही है । उसी का आप मत रिपीट करिए । कुछ अगर नई बात हो तो बताइएत ।

श्रीमती वीणा वर्मा: अंत में बस यही कहूंगी कि हमारी आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ी को सुधारने के लिए सरकार को चिंता करती ही चाहिए और केंद्र सरकार को एक आदेश दे कर स्टेट गवर्नमेंट से वह जल्दी केन्द्र और राज्य दोनों मिल कर वह तो अनसैटलद मैटर्स ह और हो पैसा डिसबर्स होना है उसका ट्रस्ट बना कर लोगो को राहत पहुंचाई जाए धन्यवाद ।

पर्यावरणं और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभू) **:** मैडम, एक मिनट , मैडम, आज ही हमारे मंत्रालय की तरफ से भोपाल दिन का आयोजन किया गया । ढ़ाई सौ बच्चों ने वहां पेंडिंग कम्पीटीशन करके उनके मन में उसके प्रति क्या भावना है, उसकों उन्होने उसमेम प्रतिबिंधित किया था । तो मै आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो बात आपने कही उसी बात की ओर आज ही यहां इस सदन में आने के पहले उसी समरोह के आयोजन में मै सम्मिलित हुआ था और वहां से मैं आ रहा हूं । इसलिए आपने जो भी बात कही है उसके ऊपर हमारा ध्यान है और उस पर हम कार्यवाही कर रहे है । आज ही के दिन, इसी तरह हम हर

साल, इस दिन का आयोजन करेंगे ।

श्रीमती वीणा वर्मा : धन्यवाद ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): थैक यू । श्री राम नाथ कोविन्द ।

Indefinite Hunger Strike By SC/ST Railway Employees in Delhi Seeking Justice and Implementation of Railway Board's Directions in respect of their Demands

श्री राम नाथ कोविन्द (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, मै संक्षेप में एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । यद्यपि जिस संबंध में मै बात कहने जा रहा हूं वह रेल मंत्रालय से संबंधित है । यहां पर आल इंडिया एस. सी. एस. टी. रेलवे एम्प्लाइज एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी और सदस्य पिछले 23-11-98 से डी. आर. एम. नई दिल्ली कार्यालय पर अपनी कुछ मांगों को ले करके भूख हड़ताल पर बैठे है । महोदया, मैं आज ही अभी सायं चार बजे माननीय रेल मंत्री जी से मिला था और कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि उन्होने जो टिप्पणी की थी और यह कहा कि रेल कर्मचारी यदि अपनी न्योयोचित मांगों के लिए हड़ताल पर बैठे है तो यह बात रेल प्रशासन के लिए अच्छी नहीं है । मै उनसे पुनः विनती करता हूं और अपेक्षा भी करता हूं और उसी समय जिस समय मै मिला उन्होंने तुरन्त उचित आदेश भी दिए कि डी.आर.एम. स्तर पर कुछ लोग उनसे मिलें, बात करे और इस हड़ताल को तुरन्त समाप्त करवाने की व्यवस्था करें ।

मैं पुनः रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और विनती करता हूं कि इस कार्य में उचित कदम तुरन्त उठाए । धन्यवाद ।

STATEMENT BY MINISTER

Re: Derailment of 8029 down Kurla-Howrah Express in Manmad-Jalgaon Section on Bhusaval Division of Central Railway on 3.12.1998.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): Madam, as already informed yesterday by Shri Nitish Kumar, Hon'ble Minister for Railways, I visited the site of accident near Jalgaon, along with Member Engineering and Member Electrical Railway Board. We also visited the civil hospital at Jalgaon.

As a result of the above accident, 9 persons (including 3 Railway staff) have lost their lives, 11 suffered grievous injuries and 23 passengers suffered simple injuries. Injured persons have been admitted in Civil Hospital, Jalgaon and utmost care is being taken to render the best possible medical treatment. However, few of the injured passengers on their own request sought discharge from the hospital.

Ex-gratia payments was announced as follows, Rs. 25,000/- for dead, Rs. 5,000/- for grievously injured and Rs. 500/- for simple injuries. Directions have also been given to railway officials to help injured passengers in filling up claims forms so that they could get the compensation from Railway Claims Tribunal expeditiously. In this accident the district administration i.e. police personnel and doctors of civil hospital, besides some voluntary organisations rendered prompt help to injured persons.

Traffic on the Down line has since been restored at 8.35 hrs. today. Commissioner Railway Safety (CRS), Central Circle, has already started the inquiry and has been asked to complete the same expeditiously. As already informed yesterday, *prima facie,* the cause of the accident appeared to be weld failure. However, on receipt of inquiry report from CRS, regarding the cause of the accident, prompt action would be taken against the persons responsible as well as remedial steps to prevent recurrence of such accidents.

On behalf of railways and myself, I express deep condolences to the bereaved families and also express sincere sympathies to the injured. I trust the House will join me in extending heartfelt condolences to the bereaved families.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Madam, there is no point in seeking clarifications now. If the Minister agrees, it can be postponed to Monday. This is an issue of great concern. Time and again this is happening. Every time we have been discussing that safety should be given the first priority.